

# इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

## Allahabad State University, Allahabad

पत्राक इ0रा0वि0वि0 / कु0स0का0 / 792 / 2017,

दिनाक 07 सितम्बर, 2017

### कार्यालय-ज्ञाप

सत्र 2016-17 की वार्षिक परीक्षा में जिन छात्र/छात्राओं को व्यक्तिगत रूप से अनुचित साधन प्रयोग करते हुए आरोपित किया गया है, उनको प्राकृतिक न्याय के अनुसरण में दण्डित करने से पूर्व उनका पक्ष जानने के लिए उन्हें आरोप पत्र प्रेषित किए जाने हैं। महाविद्यालय द्वारा छात्रों का जो पता, विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फार्म पुरित करते समय उपलब्ध कराया गया है, वह अपूर्ण है।

उक्त के दृष्टिगत आदेशानुसार यह निर्णय लिया गया है कि सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के आरोप पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय के माध्यम से प्रेषित किए जाए।

एतदर्थ सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्यों से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके College Log-in में विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित छात्र/छात्राओं के आरोप पत्रों को सम्बन्धित को अपने स्तर से प्राप्त कराते हुए, आरोप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उनका स्पष्टीकरण विश्वविद्यालय को E-mail ID- rbyadav 351@gmail.com पर या दस्ती प्राप्त कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि उनके प्रकरणों का समय से निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

(डॉ० सीहब लाल मौर्य)  
कुलसचिव

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
- 2 समस्त अधिकारीगण।
- 3 एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉग-इन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 4 निजी सचिव कुलपति जी को, कुलपति जी के सूचनार्थ।
- 5 वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।

(राज बहादुर)  
उपकुलसचिव (परीक्षा गोपनीय)

cc: /ve Sir  
DFA-PA.  
10/11/17